

झारखण्ड सरकार,  
कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

अधिसूचना

राँची, दिनांक- 30.10.2019


संख्या :- 7/प्रोन्नति-203/2016 का. 8679/ झारखण्ड सचिवालय सेवा के श्री रमाशंकर, उप सचिव (पी०बी०-III, पे० बैंड रु० 15600-39100/-, ग्रेड पे०- रु० 7600, पुनरीक्षित वेतनमान मैट्रिक्स लेवल-12), राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची को संयुक्त सचिव कोटि (पी०बी०-IV, पे० बैंड रु० 37400-67000/-, ग्रेड पे०- रु० 8700, पुनरीक्षित वेतनमान मैट्रिक्स लेवल-13) में प्रोन्नति प्रदान की जाती है।

संख्या :- 7/प्रोन्नति-203/2016 का. 8680/ झारखण्ड सचिवालय सेवा के श्री युगेश्वर पासवान, अ०जा०, उप सचिव (पी०बी०-III, पे० बैंड रु० 15600-39100/-, ग्रेड पे०- रु० 7600, पुनरीक्षित वेतनमान मैट्रिक्स लेवल-12), श्रम, नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग, झारखण्ड, राँची को संयुक्त सचिव कोटि (पी०बी०-IV, पे० बैंड रु० 37400-67000/-, ग्रेड पे०- रु० 8700, पुनरीक्षित वेतनमान मैट्रिक्स लेवल-13) में प्रोन्नति प्रदान की जाती है।

संख्या :- 7/प्रोन्नति-203/2016 का. 8681/ झारखण्ड सचिवालय सेवा के श्रीमती संगीता तिकी, अ०जा०, उप सचिव (पी०बी०-III, पे० बैंड रु० 15600-39100/-, ग्रेड पे०- रु० 7600, पुनरीक्षित वेतनमान मैट्रिक्स लेवल-12), ऊर्जा विभाग, झारखण्ड, राँची को संयुक्त सचिव कोटि (पी०बी०-IV, पे० बैंड रु० 37400-67000/-, ग्रेड पे०- रु० 8700, पुनरीक्षित वेतनमान मैट्रिक्स लेवल-13) में प्रोन्नति प्रदान की जाती है।

संख्या :- 7/प्रोन्नति-203/2016 का. 8682/ झारखण्ड सचिवालय सेवा के श्री ब्रजेन्द्र हेमब्रोम, अ०जा०, उप सचिव (पी०बी०-III, पे० बैंड रु० 15600-39100/-, ग्रेड पे०- रु० 7600, पुनरीक्षित वेतनमान मैट्रिक्स लेवल-12), परिवहन विभाग, झारखण्ड, राँची को संयुक्त सचिव कोटि (पी०बी०-IV, पे० बैंड रु० 37400-67000/-, ग्रेड पे०- रु० 8700, पुनरीक्षित वेतनमान मैट्रिक्स लेवल-13) में प्रोन्नति प्रदान की जाती है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

  
(सुधीर कुमार रंजन)  
सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक :- 7/प्रोन्नति-203/2016 का. 8682/ राँची, दिनांक-30.10.2019

प्रतिलिपि :- महालेखाकार, झारखण्ड, राँची/अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग/श्रम, नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग/ऊर्जा विभाग/परिवहन विभाग/अपर मुख्य सचिव के प्रधान आप्त सचिव, कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, प्रोजेक्ट भवन, धुर्वा/डोरण्डा, राँची तथा संबंधित पदाधिकारियों को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।



2. प्रोन्नत पदाधिकारी को प्रोन्नत पद पर पदस्थापन के उपरान्त झारखण्ड सेवा संहिता के नियम-58 के आलोक में पदभार ग्रहण करने की तिथि से प्रोन्नत पद का वित्तीय लाभ देय होगा।

  
वि.क. सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक :- 7/प्रोन्नति-203/2016 का. 8682/ राँची, दिनांक-30.10.2019

प्रतिलिपि :- नोडल पदाधिकारी, ई-गजट, कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

  
वि.क. सरकार के संयुक्त सचिव।